ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों में कापार्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्वंयसेवी संगठनों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	स्वयंसेवी संगठनों की संख्या	स्वीकृति राशि
1989-90	163	26889205
1990-91	189	30931771
1991-92	464	62482237

(ग) और (घ) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विधान परिषद (कापार्ट) के पास परियोजनाओं की निगरानी करने की एक प्रणाली है। स्वयंसेवी संगठनों से वित्तीय सहायता के लिये प्राप्त प्रस्तावों की गुर्णावगुण और संगठन की परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की क्षमता के आधार पर प्रस्तावित गतिविधि के लिये निधियों की स्वीकृति से पूर्व ध्यानपूर्वक जांच की जाती है। इस प्रकार स्वीकृत और रिलीज की गई निधियों के उपयोग की कापार्ट द्वारा अपने मार्फत नियुक्त किए गए निगरानी कर्त्ताओं द्वारा निगरानी की जाती है यदि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं देखी जाती हैं तो उन्हें उचित रूप में निपटाया जाता है, जिसमें अनुदानों को समाप्त करना, जहां-कहीं आवश्यक हो दण्डात्मक कार्रवाई करना और संगठन को भविष्य में दी जाने वाली सहायता से वंचित करना शामिल है।

उत्तर प्रदेश में हैन्ड पम्पों का लगाया जाना

483. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हैन्ड पम्प लगाने के लिये बजट में कोई प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1992 के अन्त तक कितने हैन्ड पम्प लगाए गए; और

(ग) आगामी वर्ष तक कितने हैन्ड पम्प लगाये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूखा प्रभावित जिलों सहित सभी जिलों के लिये हैन्ड पम्प लगाने हेतु अलग से आबंटन किया गया था।

(ख) उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 1991 से 31 दिसम्बर, 1992 की अवधि के दौरान 44,463 हैण्डपम्प लगाए गए थे।

(ग) अगले वर्ष में लगाए जाने वाले हैण्डपम्पों की संख्या प्रत्येक जिले की आवश्यकता, स्वीकृत की गई योजनाओं और इस प्रयोजन के लिये 1993-94 में किए गए बजट प्रावधान के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

गुजरात में पेयजल की कमी का सामना करने वाले गांव

484. **श्री राम सिंह राठवा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों के उन गांवों का पता लगा लिया है अथवा कोई अध्ययन किया है जहां पेयजल की कमी है या जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों का जिलेवार ब्यौरा क्या है जहां पेयजल की समस्या अभी तक बनी हुई है तथा फरवरी, 1993 के अन्त तक पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को शामिल किए जाने की सम्भावना है;

(ग) इन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 384 गांवों का पता लगाया है जो पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 1980 और 1985 के सर्वेक्षण में पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों में से "बिना जल स्रोत वाले" 32 समस्याग्रस्त गांव थे।

(ख) उपर्युक्त गांवों के जिलावार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए) फरवरी, 1993 के अन्त तक 225 गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिए जाने की संभावना है।